राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
तेज सिंह बनाम रामनाथ

तारीख हुक्म	102/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी की की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।	
26/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 01/10/2018 पारित करते हुए वादीगण द्वारा वाद साबित नही कर पाने एवं वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति (एस.सी.) की खातेदारी व कब्जे काश्त की होने तथा धारा 42 आर.टी.एक्ट के तहत ऐसी भूमि किसी भी सवर्ण जाति के नाम ट्रांसफ़र नही किये जाने के तथ्यों के आधार पर एवं दावा बार्ड बाई लॉ होना धारित करते हुए वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 8 ने लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सबूत का तनकीवार विवेचन/विश्लेषण करते हुये विस्तृत रूप से करते हुये वादीगण द्वारा वाद साबित नही पाने एवं धारा 42 आर.टी.एक्ट. के विन्दु के विधमान होने के तथ्यों के आधार पर व बार्ड बाई लॉ होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादीगण का वाद ख़ारिज किया गया हैं, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/10/2018 विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	